

## अध्याय II : परिणाम बजट का विश्लेषण

### 2.1 परिणाम बजट के उद्देश्य

परिणाम बजट के उद्देश्य आगामी वर्ष के लिए भौतिक नियमों में अपर्याप्त लक्ष्य व्यवस्था और वित्तीय बजट एवं निष्पादन बजट के बीच स्पष्ट समक्ष संबंध की कमी जैसे निष्पादन बजट दस्तावेजों में आई कुछ कमियों को संबोधित करना था और मध्यवर्ती भौतिक “आउटपुट” जोकि आसानी से पता लगाने योग्य है बल्कि परिणाम जोकि राज्य हस्तक्षेप तथा वित्तीय परिव्यय के अंतिम उद्देश्य हैं, का पता लगाने की बढ़ती हुई चिंता को संबोधित करना है।

### 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, नमूना और कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन के लिए एक प्रयोग किया कि क्या परिणाम बजट को तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेश और निर्देशों का अनुसरण किया गया था ताकि उसके अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

दो मंत्रालयों अर्थात् पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों को लेखापरीक्षा में जांच के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएंडएस) के अंतर्गत दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात् (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के अंतर्गत सात बड़े शहरों के आसपास (i) विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएवाई) और (ii) ‘सेटेलाइट शहरों में शहरी अवसंरचना विकास योजना के’ भौतिक लक्ष्यों के वित्तीय परिव्यय और प्राप्ति का विश्लेषण किया गया था।

## 2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.3.1 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

#### 2.3.1.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

##### (i) परिणाम बजट में लिंग बजट की अनुपस्थिति

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के परिणाम बजट के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देश प्रमुख हितधारक समूह के रूप में महिलाओं के महत्व को ध्यान में लेता है और ग्राम पंचायत (जीपी)/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) में प्रतिनिधित्व के माध्यम से योजना बनाने, कार्यान्वयन और जल आपूर्ति कार्यक्रमों के परिचालन और अनुरक्षण में महिला समूह/स्वयं-सहायता समूह को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं।

तथापि, परिणाम बजट ने एनआरडीडब्ल्यूपी के संदर्भ में महिला विशिष्ट वित्तीय परिव्यय एवं भौतिक आउटपुट को 'लागू नहीं' के रूप में सूचित किया था। जब कि गांव में पेयजल भरने का काम मुख्यतः महिलाएं करती हैं, इसमें कार्यक्रम में योजना बनाने, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और जल आपूर्ति कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने की सीमा को सूचित नहीं किया था।

एसबीएम (जी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत, वह सभी महिला की अध्यक्षता वाले परिवार प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य है जिनमें एक परिवार के लिए शौचालय का निर्माण हुआ है और बेहतर स्वच्छ परिस्थितियां सुनिश्चित करने और महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान है। महिलाओं को, स्वच्छता मुद्दों की योजना, कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन के पश्चात् के प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर भी शामिल किया जाना था। तथापि, परिणाम बजट में न तो लिंग आधारित गतिविधियों के लिए चिन्हित प्रावधानों और न ही कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महिलाओं को शामिल करने की सीमा के बारे में सूचित किया गया है।

##### (ii) 'सामान्य बचतों', 'कम/न किया गया उपयोग' और 'अभ्यर्पण' से संबंधित सूचना को न दर्शाया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, परिणाम बजट में भी (क) सामान्य बचतें-संसाधनों के आर्थिक उपयोग के परिणामस्वरूप बचतें; (ख) कम/न किया गया उपयोग-

कार्यान्वयन न किए जाने के कारण बचतें/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन में विलंब; और (ग) अभ्यर्पण-अप्रयुक्त/अप्रचलित परियोजनाएं/कार्यक्रम या एक परियोजना/कार्यक्रम के समापन के कारण बचतें और निधियों की आवश्यकता नहीं है। कथित अवधि के दौरान मंत्रालय के विनियोग लेखाओं में बचतें और अभ्यर्पण दर्शाए जाने के बावजूद वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट में यह सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

### 2.3.1.2 परिणाम की तुलना में वित्तीय और भौतिक परिव्यय

#### (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

कार्यक्रम की उपलब्धियों (अनुबंध-I) की तुलना में वित्तीय के साथ भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला कि केवल केन्द्रीय अंश (एमओडीडब्ल्यू एवं एस से संबंधित परिव्यय) से संबंधित वित्तीय परिव्ययों के प्रति लक्ष्य एवं उपलब्धियां दिखाई गई थीं। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए बताए गए लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे, परन्तु आगामी वर्षों 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 84 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की कमी थी।

#### (ii) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)

कार्यक्रम (अनुबंध-II) की उपलब्धियों की तुलना में भौतिक के साथ वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय परिव्ययों के साथ भौतिक लक्ष्यों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। संशोधित अनुमान स्तर पर ऊपर की ओर के संशोधन के बावजूद 2015-16 में लक्ष्यों को उन्हीं स्तरों पर रखा गया था। केन्द्रीय अंश के संबंध में वित्तीय एमओडीडब्ल्यू एवं एस से संबंधित परिव्ययों के प्रति लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाया गया था।

### 2.3.1.3 डाटा की विश्वसनीयता

वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणालियां कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के साधन हैं। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) एक व्यापक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जोकि केन्द्र और राज्य को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने में सक्षम बनाती है। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

(i) एनआरडीडब्ल्यूपी

2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजट में दर्शाए गए लक्ष्य वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली (आईएमआईएस) के संबंधित आकड़ों के साथ मेल नहीं खाते जैसाकि नीचे तालिका सं. 1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1: लक्ष्यों के दर्शाने में विसंगति-एनआरडीडब्ल्यूपी

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार लक्ष्य (बस्तियों की संख्या)				आईएमआईएस के अनुसार लक्ष्य (बस्तियों की संख्या)			
	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल
2013-14	21771	122259	0	144030	25345	116493	0	141838
2014-15	20000	75000	0	95000	23427	118671	0	142098
2015-16	56941	0	0	56941	9111	47080	0	56191
2016-17	8000	54000	0	62000	12812	44023	26978	83813

इसी प्रकार, 2014-15 में शामिल बस्तियों की संख्या के अनुसार उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरण में विसंगति थी जैसा नीचे तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: उपलब्धियां दर्शाए जाने में विसंगति-एनआरडीडब्ल्यूपी

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार उपलब्धि (बस्तियों की संख्या)				आईएमआईएस के अनुसार उपलब्धि (बस्तियों की संख्या)			
	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल
2014-15	15588	120529	0	136117	15579	61419	59108	136106

**(ii) एसबीएम (जी)**

2016-17 के परिणाम बजट में 2014-15 में 58.55 लाख पर आईएचएचएल<sup>1</sup> की उपलब्धि को दर्शाया था जबकि एमआईएस ने कथित वर्ष के दौरान 58.86 लाख पर आईएचएचएल की उपलब्धि को दर्शाया था जोकि डाटा में विसंगति दर्शाता है।

**2.3.2 शहरी विकास मंत्रालय****2.3.2.1 सरकारी निर्देशों से विचलन**

(i) निर्धारित प्रारूप के अनुसार, परिणाम बजट प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग से एक दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए। प्रासंगिक अध्यायों को सारांशकृत करने के अलावा, एक कार्यकारी सारांश, में मॉनीटरिंग तंत्र के विवरणों को प्रमुखता से उजागर और वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को नियमित रूप से मॉनीटर करने और आम जनता को इसकी सूचना देकर मंत्रालय/विभाग द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों के लिए कार्यकारी सारांश में मॉनीटरिंग और सार्वजनिक सूचना तंत्र का उल्लेख नहीं किया गया था और इसमें छः अध्यायों के केवल संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं।

(ii) परिणाम बजट दिशानिर्देशों के अनुसार, सारणीबद्ध प्रारूप तैयार करना होगा जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा इकाइयों के लिए बनाए गए पूरक अतिरिक्त बजटीय (सीईबी) संसाधन के साथ वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय परिव्ययों, प्रक्षेपित भौतिक परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीकृत परिणाम (मध्यम/आंशिक तथा अंतिम) शामिल हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईडीएसएसटी (योजनागत खंड) के संबंध में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में कथित अवधि के दौरान सीईबी संसाधनों के अंतर्गत कोई राशि नहीं दर्शायी गई थी। इसके अतिरिक्त, कॉलम मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक परिणामों के अंतर्गत केवल योजना उद्देश्य एवं अमात्रात्मक/अथाह चीज़ों का उल्लेख किया गया था।

---

<sup>1</sup> आईएचएचएल -एक परिवार के लिए शौचालय

(iii) एचआरआईडीएवाई योजना के अंतर्गत विशेष परिणाम जिन्हें 2015-16 और 2016-17 के दौरान योजना से प्रत्याशित किया गया था उनकी बजाय प्रक्षेपित परिणाम कॉलम में योजना के केवल सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था।

(iv) 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यूआईडीएसएसटी 'सिक्किम समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना' के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई थी जैसाकि दिशानिर्देशों में अपेक्षित था।

(v) 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट के लिए दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि मौजूदा मुख्य परियोजनाओं की अलग-अलग सूची के साथ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई<sup>2</sup>) के लिए अलग तालिका होनी चाहिए। सीपीएसई से संबंधित परिणाम बजट को तैयार किया जाना था चाहे कोई बजटीय समर्थन न हो। वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए एनबीसीसी (भारत) के संबंध में कोई तालिका शामिल नहीं की गई थी।

(vi) 2015-16 और 2016-17 के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि परिणाम बजट में सामान्य बचतें, कम/उपयोग न किए जाना और अभ्यर्पण भी दर्शाए जाने चाहिए। यह नोट किया गया था कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजट में बचत, अभ्यर्पण आदि अलग से दर्शाए नहीं गए थे।

(vii) परिणाम बजट का अध्याय-IV पिछले दो वर्षों का निष्पादन दर्शाता है। तदनुसार, उदाहरणस्वरूप, 2014-15 के परिणाम बजट में व्यक्तिगत कार्यक्रम/योजना को उनके भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों आदि देते हुए भिन्नता, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों के लिए कारणों सहित योजनावार भौतिक निष्पादन, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 2012-13 और 2013-14 के पूर्व निष्पादन समीक्षा दर्शायी जानी चाहिए।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों की संवीक्षा के दौरान यह पता चला कि पिछले वर्षों में पूर्व रूप से निर्धारित लक्ष्यों के प्रति योजना-वार

---

<sup>2</sup> एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड, एमओयूडी के अंतर्गत एक लोक क्षेत्र उपक्रम अनुसूची ए है तथा एनएबीआरएटीएनए की स्थिति सहित आईएसओ-9001कम्पनी है।

उपलब्धियों (परिणाम) को दर्शाने में असंगति थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

➤ 2013-14 का परिणाम बजट ₹ 150 करोड़ के परिव्यय के प्रति सड़कों, पुलों, नालियों में विकास, बाजार परिसरों, फ्लाईओवर आदि के निर्माण जैसे अमात्रात्मक लक्ष्य दर्शाते हैं परंतु आगामी वर्ष अर्थात् 2014-15 के परिणाम बजट में उपलब्धियां या परिणाम शामिल नहीं थे। उसी प्रकार, योजना के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 150 करोड़ के परिव्यय के प्रति कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे और 2015-16 के परिणाम बजट में कोई परिणाम उपलब्धियां नहीं दर्शायी गई थीं।

➤ 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 278 करोड़ के परिव्यय के साथ जुलाई 2009 से यूआईडीएसएसटी योजना परिचालन में थी। परंतु संबंधित वर्षों के परिणाम बजट में पिछले वर्षों के लक्ष्य तथा परिणाम के प्रति मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक परिणाम दर्शाये नहीं गये थे। मात्रात्मक या मापने योग्य लक्ष्यों के स्थान पर योजना के लिए 2014-15 और 2015-16 के परिणाम बजट में उपलब्धियों के अंतर्गत एमओयूडी में प्रस्तावों के प्रसंस्करण के विवरणों तथा उपयोग प्रमाण पत्रों को शामिल किया गया था।

➤ वर्ष 2015-16 के लिए एचआरआईडीएवाई के संबंध में सभी 12 चयनित शहरों के लिए लक्ष्यों को ₹ 200 करोड़ के योजनागत परिव्यय के साथ परिणाम बजट में स्थापित किया गया था। हालांकि, 2016-17 के परिणाम बजट में इन लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां और 2015-16 के परिव्यय नहीं दर्शाए गए थे।

(viii) 2014-15 के परिणाम बजट में, बजट अनुमान 2013-14, संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 दर्शाए गए थे परंतु इन बजटीकृत परिव्ययों के प्रति व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को दर्शाया नहीं गया था। 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजटों से संबंधित व्यय में प्रवृत्तियां भी नहीं दर्शायी गयी थीं।

### 2.3.2.2 भौतिक लक्ष्यों को सूचित करने में विसंगतियां

सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना और एचआरआईडीएवाय, यूआईडीएसएसटी के संबंध में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में कोई मात्रात्मक भौतिक उपलब्धियां नहीं दर्शायी गयी थीं।

#### 2018 की प्रतिवेदन सं. 4

यूआईडीएसएसटी योजना के संबंध में, 2016-17 के परिणाम बजट में, 2014-15 में पिलखुवा (उत्तर प्रदेश) में एक जल आपूर्ति परियोजना पूरी हो गई थी और संपूर्ण बजट आवंटन का उपयोग हो गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईडीएसएसटी के अंतर्गत एमओयूडी द्वारा कुल 17 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी और परिणाम बजट के अनुसार 2014-15 के दौरान केवल एक परियोजना पूरी हुई थी। शेष अपूर्ण परियोजना की स्थिति का स्पष्टीकरण परिणाम बजट में नहीं दिया गया था।

एचआरआईडीएवाई के संदर्भ में, 2015-16 के दौरान प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की कोई सूचना वर्ष 2016-17 के लिए परिणाम बजट में शामिल नहीं की गई थी।

#### 2.3.2.2 मॉनीटरिंग तंत्र से संबंधित मामले

दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में एचआरआईडीएवाई या यूआईडीएसएसटी के मॉनीटरिंग तंत्र से संबंधित कोई विवरण नहीं दिए गए थे।

#### 2.3.2.4 भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि न करने पर मंत्रालयों/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन

चूंकि 'सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना और यूआईडीएसएसटी से संबंधित 2013-14 से 2016-17 के लिए एमओयूडी द्वारा मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, एमओयूडी ने वह कार्रवाई/प्रयास नहीं दर्शाए थे जोकि उसने वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट दस्तावेजों के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दर्शाए थे।

#### 2.4 निष्कर्ष

परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और निष्पादन बजट के बीच सह संबंध स्थापित करने और न केवल मध्यम भौतिक परिणाम बल्कि परिणाम का पता लगाने के लिए था। हालांकि, परिणाम बजट की तैयारी पर दिशानिर्देशों से विचलन हुए थे जोकि उसके मौलिक उद्देश्य को कमजोर करता है। वित्तीय परिव्यय और भौतिक परिणाम के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं था लक्ष्यों की तुलना में एक ही तरीके के बजटीय आवंटन के बीच उपलब्धियां अधिक थीं; परिणाम बजट और वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के बीच कार्यक्रमों के लक्ष्य आंकड़ों को दर्शाने में विसंगति थी और डाटा अविश्वसनीयता से वेब-आधारित

ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग की हानि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रत्येक घटक के प्रति भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को न दर्शाए जाने के कारण मंत्रालय के निष्पादन माप उपकरण के रूप में परिणाम बजट के उद्देश्य को विफल करता है। यह भी कहा जा सकता है कि 2017-18 से व्यक्तिगत मंत्रालय-वार परिणाम बजट समाप्त हो चुका है और उसे वित्त मंत्रालय के परिणाम बजट में शामिल किया जा रहा है।